

ग्राम पंचायत ढगवार, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के लेखाओं

का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2013 से 03/2016

भाग -1

1 (क) प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)(C)(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत ढगवार, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्र०	नाम	अवधि
1	श्रीमति सुशील कुमारी	01/04/2013 से 22/01/2016
2	श्री सुरक्षा देवी	23/01/2016 से 31/03/2016

सचिव:-

क्र०	नाम	अवधि
1	श्री करतार चन्द	01/04/2013 से 30/08/2013
2	श्री राम कृष्ण	31/08/2013 से 30/09/2013
3	श्री करतार चन्द	01/10/2013 से 13/01/2014
4	श्रीमति पम्मी देवी	14/01/2014 से 22/03/2014
5	श्री करतार चन्द	23/03/2014 से 14/02/2016
6	श्री नरेन्द्र कुमार	15/02/2016 से 31/03/2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत ढगवार, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	8	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.20
2	9	अनुदान राशि का अवरोधन	10.61
3	10	क्रय की गई सामग्री का भण्डारण न करना	0.84

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत ढगवार, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 06/12/2016 से 13/12/2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 05/13, 06/14 व 06/15 तथा व्यय के लिए माह 03/14, 06/14, व 10/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवदेन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवदेन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत ढगवार विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 24 दिनांक 29/12/2016 द्वारा सचिव, पंचायत ढगवार से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत ढगवार विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 4/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी जिसका विवरण **परिशिष्ट-I** में भी दिया गया है।

4.1 स्वः स्रोत व अनुदान:-

ग्राम पंचायत ढगवार के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्वः स्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है:-

(क) स्व: स्रोत

वर्ष	अथशेष	पावतियां	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	867232.00	422931.00	41399.0	1331562.00	113960.00	1217602.00
2014-15	1217602.00	479079.00	51499.0	1748180.00	245707.00	1502473.00
2015-16	1502473.00	291425.00	61195.0	1855093.00	448332.00	1406761.00

(ख) अनुदान

वर्ष	अथशेष	पावतियां	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	417885.00	3445919.00	9669.00	3873473.00	3578181.00	295292.00
2014-15	295292.00	3443010.00	18491.00	3756793.00	3394637.00	362156.00
2015-16	362156.00	3176573.00	23128.00	3561857.00	2500660.00	1061197.00
कुल योग (क+ख)						2467958.00

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं०	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा राशि
1	के०सी०सी० बैंक मसरेढ़	50052299041	1406694.00
2	के०सी०सी० बैंक मसरेढ़	50057198220	15827.00
3	के०सी०सी० बैंक मसरेढ़	50056988231	44802.00
4	के०सी०सी० बैंक मसरेढ़	50057188711	61165.00
5	के०सी०सी० बैंक मसरेढ़	50058707168	1313.00
6	के०सी०सी० बैंक मसरेढ़	50058357780	921249.00
7	के०सी०सी० बैंक मसरेढ़	50057298430	16733.00
8	के०सी०सी० बैंक मसरेढ़	50056851502	108.00
9	के०सी०सी० बैंक मसरेढ़	20097026277	—
योग			2467891.00
हस्तगत राशि			67.00
कुल योग			2467958.00

5 रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करना:-

रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खाते का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस

अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.1 नियमों के विरुद्ध नौ बैंक बचत खातों को खोलना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत ढगवार में दो के स्थान गत पैरा 4(1) में वर्णित नौ बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन सात अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 खाता 'ख' में अर्जित ब्याज ₹0.51 लाख को खाता 'क' में अन्तरित न करना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वः संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत ढगवार के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹51288 खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था परन्तु अन्तरित नहीं किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

माह/वर्ष	कुल ब्याज
2013-14	9669.00
2014-15	18491.00
2015-16	23128.00
कुल योग	51288.00

5.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए

एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत ढगवार द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका तथा आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6 निवेश:-

ग्राम पंचायत ढगवार द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान सावधिक जमा में निवेश नहीं किया गया था।

7 बजट प्राक्कलन तैयार न करना:-

हि0 प्र0 पंचायत राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-II में पंचायत आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व ₹0.20 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत ढगवार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹0.20 लाख वसूली शेष थी।

गृहकर:-

क्र०सं०	वर्ष	अथशेष वर्ष के दौरान मांग	योग वर्ष के दौरान प्राप्ति	अन्तशेष
1	2013-14	39960.00	18300.00	58260.00
2	2014-15	5340.00	18840.00	24180.00
3	2015-16	3000.00	19140.00	22140.00
				2460.00
				19680.00

अतः उपरोक्त बकाया राजस्व की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

9 अनुदान ₹10.61 लाख का अवरोधन:—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹1061197 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा भिन्न-भिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशियों को प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

10 कय की गई निर्माण सामग्री इत्यादि को भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करने बारे:—

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अनुसार पंचायत द्वारा कय किये गये निर्माण सामग्री का भण्डार इन्द्राज स्थाई एवं अस्थायी प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 से 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था परन्तु पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 तक के दौरान निम्नविवरणानुसार कय की गई निर्माण सामग्री व सीमेंट को कय के उपरान्त न तो भण्डार रजिस्टर पर दर्ज किया गया और न ही इसका आगामी निपटारा किया गया जिसका कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब कय किये गये सीमेंट व निर्माण सामग्री को भण्डार रजिस्टर पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत किया जाये:—

क्र० सं०	वाउचर संख्या व दिनांक	बिल संख्या व दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	क्रय की गई मात्रा का विवरण	क्रय की गई मात्रा	दर	राशि
1	188 10.03.14	407	जीवन कुमार टॉस्पोरटर	खाडू पत्थर	1650	7.00	11550.00
2	191 10.03.14	412	—यथोपरि—	खाडू पत्थर कशर रेत	1500 70 फीट	7.00 32.00	10500.00 2240.00
3	195 10.03.14	204 05.02.14	ठाकुर कश्मीर सिंह	कशर रेत कशर मिक्स	100 फीट 150 फीट	32.00 30.00	3200.00 4500.00

4	196	224	—यथोपरि—	कशर रेत	100 फीट	32.00	3200.00
	10.03.14	20.02.14		कशर मिक्स	100 फीट	30.00	3000.00
5	197	206	—यथोपरि—	कशर रेत	100 फीट	32.00	3200.00
	10.03.14	05.02.14		कशर मिक्स	150 फीट	30.00	4500.00
6	198	226	—यथोपरि—	कशर रेत	100 फीट	32.00	3200.00
	10.03.14	20.02.14		कशर मिक्स	100 फीट	30.00	3000.00
7	216	428	अरुणेश	स्टेशनरी	—	—	2100.00
	30.03.14	30.03.14	प्रिंटिंग प्रैस	इत्यादि			
8	06	03	मै० श्याम	शटरिंग	538 फीट	10.00	5380.00
	07.06.14	15.03.14	लाल				
9	07	शून्य	—यथोपरि—	खाडू पत्थर	580	10.50	6090.00
	07.06.14						
10	78	115	हंस राज फूट	पलांट मैंगो	100	80.00	8000.00
	09.10.15	01.09.15	नर्सरी	पलांट लिच्ची	40	90.00	3600.00
11	22	111	मै० सन्तोश	जाला एंगल	98.600	65.00	6409.00
	09.06.14	13.02.14	कुमार	पत्ती			
							83660.00

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:—

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह के बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अविलम्ब उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना:—

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इन रजिस्ट्रों का रख रखाव न करने का कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब इनका रख-रखाव नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये।

क्रम सं०	अभिलेख/रजिस्टर का नाम
1	गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर
2	शराब शुल्क प्राप्ति रजिस्टर
3	चल-अचल सम्पत्ति रजिस्टर
4	निर्माण कार्य रजिस्टर

- | | |
|---|------------------------------|
| 5 | अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर |
| 6 | रसीदों का स्टॉक रजिस्टर |
| 7 | विकास निष्पादन रजिस्टर |
| 8 | पेशगी रजिस्टर |

13 अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण अवधि के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप अवधि के दौरान व्यय की गई अनुदानों की राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय समस्त अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14 लघु आपत्ति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई है।

15 निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 70/2016-खण्ड-1- 2278-2281 दिनांक :
20.04.2017 शिमला-171009,

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत ढगवार विकास खण्ड धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/-
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

0177-2620881